



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.rajasthan.gov.in

क्रमांक : JDA/OSD(RM)/2026-27/D-

दिनांक : यथा पर्याप्त

कार्यालय -आदेश

राजस्थान नगर सुधार न्यास (शहरी भूमि निस्तारण) नियम, 1974 के अनुसरण में निम्नांकित योजना की आरक्षित दरों के प्रस्ताव का माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग एवं स्वयत्त शासन विभाग एवं अध्यक्ष, जयपुर विकास प्राधिकरण के अनुमोदन पश्चात् निम्नानुसार आरक्षित दरें निर्धारित की जाती हैं :-

क्र.सं.	जोन	योजना/क्षेत्र	प्रभावी आवासीय आरक्षित दर (रु. प्र.व.मी.)
1	11	ग्राम मानपुर टीलावाला तहसील सांगानेर के खसरा नं. 249,254,255,258 एवं 259 पर सृजित आवासीय योजना	15,500/-

- उक्तानुसार आवासीय आरक्षित दर 80 फुट(24 मीटर) की चौड़ाई वाली सड़क तक लागू होंगी। 80 फुट(24 मीटर) से अधिक एवं 100 फुट (30 मीटर) तक की चौड़ाई के लिए 10 प्रतिशत अधिक आरक्षित दर एवं 100 फुट से अधिक चौड़ाई वाली सड़क होने पर 15 प्रतिशत अधिक आरक्षित दर लागू होगी।
- वाणिज्यिक आरक्षित दर आवासीय आरक्षित दर की दो गुणा होगी एवं संस्थानिक आरक्षित दर आवासीय आरक्षित दर से 25 प्रतिशत अधिक होगी।
- यदि किसी भूखण्ड/भूमि के लिए एक से अधिक आरक्षित दर लागू हो रही है तो अधिक दर वाली आरक्षित दर प्रभावी होगी।
- यदि किसी भूखण्ड के लिए आरक्षित दर निर्धारण में विवेचना की स्थिति हो तो आयुक्त, जयपुरा का निर्णय मान्य होगा।

उक्त आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होंगे।

(डॉ.गौरव सैनी)

सचिव



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.rajasthan.gov.in

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर
2. प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर
3. वरिष्ठ निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर
4. वरिष्ठ निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर
5. निदेशक (वित्त/अभियांत्रिकी-प्रथम व द्वितीय/आयोजना/परियोजना), जविप्रा, जयपुर
6. अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन/पूर्व/पश्चिम/एल.पी.सी./भूमि) जविप्रा, जयपुर।
7. सयुक्त आयुक्त (सिस्टम मैनेजमेन्ट/संसाधन विकास एवं समन्वय), जविप्रा, जयपुर
8. विशेषाधिकारी(संसाधन विकास) जविप्रा, जयपुर
9. अतिरिक्त निदेशक(राजस्व एवं सम्पत्ति निस्तारण) जविप्रा, जयपुर
10. समस्त जोन उपायुक्तगण....., जविप्रा, जयपुर
11. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को जविप्रा की वेबसाईट पर अविलम्ब अपलोड कराएँ।
12. उप रजिस्ट्रार(सहकारिता), जविप्रा, जयपुर
13. सलाहकार(जनसम्पर्क), जविप्रा, जयपुर
14. रक्षित पत्रावली।

निदेशक (वित्त)